सं. 1/7/2020-पी&पीडबल्यू (एफ़)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक सितंबर 30, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय:केंद्रीय सरकार के ऐसे सरकारी कर्मचारी,जिनकी सदाशयपूर्वक अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मृत्यु हुई हो,के कुटुंब को एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति की रकम के संदाय के लिए नामनिर्देशन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे केंद्रीय सिविल सरकारी कर्मचारी, जिनकी विभिन्न परिस्थितियों में सदाशयपूर्वक अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मृत्यु हो जाती है, के परिवार,इस विभाग के दिनांक 11 सितंबर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/55/97-पी&पीडबल्यू(सी) के अनुसार अनुग्रह एकमुश्त क्षतिपूर्ति की रकम के संदाय के हकदार हैं। एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति की रकम में समय-समय पर संशोधन किया गया है। एकमुश्त अनुग्रह संदाय की मौजूदा दरें इस विभाग के दिनांक 04.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2016- पी&पीडबल्यू(ए) में विनिर्दिष्ट हैं।

2. तथापि, मौजूदा निर्देश, कुटुंब के उस सदस्य को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं, जिसे सरकारी कर्मचारी द्वारा सदाशयपूर्वक अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मृत्यु होने की स्थिति में,ऐसा अनुग्रह एकमुश्त मुआवजा संदेय है। इसलिए, दिनांक 11 सितंबर 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/55/97-पी&पीडबल्यू(सी) के अनुबंध में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा 13 के संदर्भ में,एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति का संदाय वर्तमान में कुटुंब के उस सदस्य को किया जा रहा है जो केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन असाधारण कुटुंब पेंशन के लिए पात्र है।

3. वित्त मंत्रालय(व्यय विभाग) से परामर्श करके इस मामले की जांच की गई है। किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर,अन्य एकमुश्त रकम जैसे मृत्यु उपदान, जीपीएफ शेष और सीजीईजीआईएस रकम का संदाय,सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा के दौरान किए गए नामनिर्देशन के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सदाशयपूर्वक अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मृत्यु होने की स्थिति में, एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति का संदाय भी, कुटुंब के उस सदस्य या सदस्यों को किया जा सकता है जिनके पक्ष में सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा के दौरान नामनिर्देशन किया गया है। इस प्रयोजन के लिए कुटुंब का वही अर्थ होगा जैसा उपदान के मामले में है और इसमें कुटुंब के वही सदस्य शामिल होंगे जैसा कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 50 के उप-नियम (6) में वर्णित है।

4. केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के साथ संलग्न प्ररूप 1 में दिए गए सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप में,एकमुश्त अनुग्रह के संदाय के लिए, नामनिर्देशन को सम्मिलित करने हेतु संशोधन किया गया है और इसे संलग्न किया गया है। तदनुसार, इस सामान्य नामनिर्देशनप्ररूप में,एकमुश्त अनुग्रह रकम के संदाय के लिए भी नामनिर्देशन किया जाएगा। एकमुश्त अनुग्रह रकम के संदाय के लिए नामनिर्देशन,केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 53 के तहत उपदान के मामले में लागू उपबंधों के अधीन होगा। चूंकि एकमुश्त अनुग्रह रकम का संदाय केवल कुटुंब को देय है, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नामनिर्देशन नहीं किया जा सकेगा जो कुटुंब का सदस्य नहीं है, यहां तक कि जहां किसी

सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुंब नहीं है, वहां भी ऐसा नामनिर्देशन नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है या सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, तो एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति कुटुंब के सभी पात्र सदस्यों द्वारा बराबर अंशों में बांटा जाएगा,जैसा कि उपदान के मामले में,केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली के नियम 51 अनुसार होता है।

5. ये अनुदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से या उसके बाद किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के मामले में लागू होंगे। इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से पूर्व के, सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होने पर एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति के संदाय के मामलों का निपटान,इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से पूर्व, लागू निर्देशों के अनुसार करना जारी रहेगा।

6. इस कार्यालयज्ञापन को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से, उनके दिनांक 22.07.2021 के आईडी नोट संख्या 27(1)/ईवी/2020 के द्वारा जारी किया जाता है।

7. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर लागू, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित,ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात, उनके दिनांक 13.09.2021 के यू.ओ. सं 211-स्टाफ-हक(नियम)-ए.आर/09-2019 के द्वारा जारी किए जाते हैं ।

8. सभी मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक प्रभागों से अनुरोध है कि इन निर्देशों की विषय-वस्तु को अनुपालनार्थ सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

9. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में,नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 1 में संशोधन करने के लिए औपचारिक संशोधनपृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

(संजय शंकर)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रति:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय
4. प्रधान मंत्री कार्यालय
5. भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
6. मंत्रिमंडल सचिवालय
7. संघ लोक सेवा आयोग
8. एनआईसी को वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु

प्ररूप 1

उपदान, सामान्य भविष्य निधि,केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम और अनुग्रह एकमुश्त मुआवज़ा के लिए सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप

[केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का नियम 53, सामान्य भविष्य निधि(केन्द्रीय सेवा) नियमावली,1960 का नियम 5,केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के पैरा 19.7 और दिनांक 04.08.2016 के का.ज्ञा.सं. 38/37/2016-पी&पीडबल्यू (ए) देखिये]

मैं, ..., नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को, एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता हूँ और मेरी मृत्यु होने की दशा में उसे/उन्हें नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक निम्नलिखित आधार पर रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूँ:

i. कोई उपदान जिसका संदाय केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली के नियम 50के अधीन प्राधिकृत किया जाए,
ii. वह रकम जो सामान्य भविष्य निधि में मेरे खाते में जमा हो,
iii. कोई रकम जो केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के अधीन संस्वीकृत की जाए।
iv. समय-समय पर यथासंशोधित, अनुग्रह एकमुश्त मुआवजा जिसे, दिनांक 11 सितंबर,1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/55/97-पी&पीडबल्यू(सी) के तहत प्राधिकृत किया जाए,

नामनिर्देशिती का नाम, जन्मतिथि और पता	कर्मचारी/ पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला अंश	यदि नामनिर्देशिती अवयस्क है,तो उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तंभ(1) के अधीन नामनिर्देशिती की कर्मचारी से पूर्व मृत्यु होने की दशा में, आनुकल्पिक नामनिर्देशिती का नाम, जन्मतिथि, नातेदारी और पता	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला अंश	उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता, जो स्तंभ (5) में आनुकल्पिक नामनिर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता जिसके घटित होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

ये नामनिर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नामनिर्देशनों को अधिक्रांत करेंगे।

स्थान और तारीख:

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

मोबाइल न.....

टिप्पण 1 : उन फ़ायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नामनिर्देशन आशयित नहीं है। उपर्युक्त फायदों(i), (ii), (iii) और (iv) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नामनिर्देशित किए जाने के लिए इस नामनिर्देशन प्ररूप की पृथक प्रतियों का उपयोग किया जाए।

टिप्पण 2 : सरकारी कर्मचारी अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात किसी नाम को अंतःस्थापित न किया जा सके।नामनिर्देशिती(यों)/आनुकल्पिक नामनिर्देशिती(यों) को संदेय अंशों में उपदान की पूरी रकम आ जानी चाहिए।

(कार्यालयाध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाए)
निम्नलिखित नियमों/अनुदेशों के अधीन, तारीख..... को नामनिर्देशन प्राप्त किए: -

1. उपदान के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली नियमावली, 1972
2. सामान्य भविष्य निधि(केंद्र सेवा) नियमावली, 1960
3. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980
4. दिनांक 11 सितंबर,1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/55/97-पी&पीडबल्यू(सी)

श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा किया गया .....

पदनाम.....

कार्यालय.....

(अप्राप्त नामनिर्देशन को काट दें)

नामनिर्देशन(नामनिर्देशनों) की प्राप्ति की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका के पृष्ठ.....खंड..... में कर ली गई है।

कार्यालयाध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम, मुहर सहितप्राप्ति की तारीख .....

प्राप्त करने वाला अधिकारी उपरोक्त जानकारी को भरेगा और सम्यक रूप से भरे प्ररूप की हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु होने की दशा में उसके हिताधिकारियों को प्राप्त हो सके।

प्राप्त करने वाला अधिकारी इस प्ररूप के दोनों पृष्ठों पर अपने तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा।